राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 235वीं बैठक दिनांक 08.02.2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में कक्ष संख्या–748 (भू–तल), राजस्थान विधानसभा, जयपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री श्रीचन्द कृपलानी	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री मुकेश कुमार शर्मा	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	डॉ॰ के॰बी॰ गुप्ता	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4.	श्रीमती इन्दिरा	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
5.	श्री अनिल कुमार कौशिक	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

<u>बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे :–</u>

1.	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता–प्रथम
2.	श्री जी॰एस॰ बाघेला	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय
3.	श्रीमती रेखा भास्कर	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
235.1	दिनांक 31.07.2017 को सम्पन्न हुई मण्डल की 234वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 31.07.2017 को सम्पन्न हुई मण्डल की 234वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
235.2	दिनांक 31.07.2017 को सम्पन्न हुई मण्डल की 234वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	दिनांक 31.07.2017 को सम्पन्न हुई मण्डल की 234वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं निर्देश प्रदान किये गये कि गत बैठक के जिन निर्णयों की क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कर संचालक मण्डल को अवगत करावें। मुख्य अभियंता (मुख्यालय) को इसके लिये रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये ।	Secretary

235.3	श्री सी.एन. राय द्वारा इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में करवाये गये निरस्त पंजीकरण को बहाल कर उपलब्ध आवासों में से लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन के संबंध में।	प्रकरण में विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि चूंकि एक शहर में एक ही आवास देने का नियम है । नियमों के आलोक में परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।	CEM
235.4	पंजीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न आय वर्ग आवेदकों द्वारा पंजीकरण कराने हेतु आय सीमा का पुनः निर्धारण बाबत्।	प्रस्तावानुसार आय सीमा का पुनः निर्धारण जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रचलित आदेशानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही cross subsidized किये जाने में उच्च आय वर्ग के आवासों पर भार कम किया जावे तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के आवेदकों को दो श्रेणी यथा EWS I (आय 1.5 लाख तक) (20 प्रतिशत सब्सीडाईज्ड) तथा EWS II (आय 1.5 से 3 लाख तक) (10 प्रतिशत सब्सीडाईज्ड) में विभक्त किया जावे ।	CEM
235.5	मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित प्लिंथ स्तर के आवासों के आवंटन पश्चात 10 वर्ष के पश्चात भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर अवधि बढाने के संबंध में।	मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित प्लिंथ स्तर के आवासों के आवंटन पश्चात 10 वर्ष तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर अवधि बढाने के संबंध में वर्तमान में प्रचलित नियमों में निम्नानुसार संशोधन कर नवीन स्पष्ट एवं विस्तृत आदेश जारी किये जावेः– 1. देय समय के पश्चात् एक दिन से दो वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर 1 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क। (आवासन आयुक्त के अनुमोदन से) 2. दो वर्ष एक दिन से आठ वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर 2 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क। (आवासन आयुक्त के अनुमोदन से) 3. आठ वर्ष एक दिन से बारह वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर 3 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क। (अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से) 4. 12 वर्ष पश्चात् निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर अवधि बढाने के संबंध में संचालक मण्डल के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM

235.6	मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में निर्मित झूलेलाल मार्केट की अनिस्तारित 402 दुकानों को वर्ष 2014–15 की आरक्षित दर पर आवंटित करने बाबत्।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि मण्डल की सम्पूर्ण राजस्थान में सम्पत्तियों की वर्तमान लागत बाजार मूल्यों से ज्यादा आ रही है, जिसके कारण सम्पत्तियों का बेचान नहीं हो पा रहा है तथा सम्पत्तियां क्षतिगस्त हो रही है, अनाधिकृत कब्जे का खतरा है। अतः इस संबंध में निर्णय लिया गया कि मण्डल की अनिस्तारित सम्पत्तियों के वर्तमान मूल्य तथा बाजार मूल्य का तुलनात्मक विस्तृत विश्लेषण कर व्यवहारिक बेचान मूल्य प्रस्तावित करने हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया जाये, जो कि अपना प्रतिवेदन निर्णयार्थ आवासन आयुक्त के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी :– 1. मुख्य अभियंता, मुख्यालय–संयोजक 2. सचिव– सदस्य 3. वि.स. एवं मु.ले.अ., सदस्य 4. मुख्य संपदा प्रबन्धक, सदस्य उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुये यथोचित संशोधित दरें माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से लागू की जावे।	CEM
235.7	वर्कचार्ज कनवर्जन के उपरान्त शेष कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित हैल्परों को पदोन्नति देने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि वर्कचार्ज संवर्ग से कोई कार्मिक कनवर्जन द्वारा कनिष्ठ सहायक बनना चाहता है, तो उसे प्राथमिकता दी जावे।	Secretary
235.8	हैल्पर से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति नियमों में शिथिलता प्रदान कर एकबारगी(One time Relaxation) देते हुए पदोन्नति का लाभ दिये जाने बाबत्।	चर्चा उपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।	Secretary
235.9	मण्डल की आवासीय योजनाओं में स्थित पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भूमि को नीलामी एवं वाणिज्यिक आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावान्तर्गत स्वीकार करते हुये निर्देश दिये गये कि मण्डल की आवासीय योजनाओं में स्थित पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भूमि का व्यक्तिशः आवंटन नहीं किया जावे तथा प्रस्तावानुसार सिर्फ ऑयल कम्पनियों को ही आवंटित किये जावे।	CEM

235.10	आवास संख्या 1/73, पुरानी योजना, हनुमानगढ के पंजीयन पश्चात बेचान किये जाने के कारण पश्चातवर्ती क्रेता का नाम मण्डल रिकॉर्ड में हस्तांतरण बाबत्।	आवेदक से प्रचलित नियमों के अनुरूप राशि ली जाकर मण्ड़ल रिकार्ड में नाम हस्तान्तरण की अनुमति दी गई।	CEM
235.11	इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में मध्यम आय वर्ग–अ के आवंटित 05 आवासों की लागत वैधता दिनांक 31.03.2018 तक बढाने के संबंध मे।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
235.12	इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में माननीय विधायकों को आवंटित 05 आवासों की लागत निर्धारण में भूमि विकास दर वर्ष 2017–18 के स्थान पर वर्ष 2015–16 की लिये जाने बाबत्।	प्रस्ताव में लागत में संशोधन 235.06 में लिये गये निर्णय के अनुरूप किया जावे।	FA
235.13	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2016–17 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर राशि/अनुमोदनार्थ एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
235.14	मण्डल में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को अवशिष्ट 8660 आवास/फ्लैटो को आवंटन के निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।	प्रस्ताव में आवासों की लागत में संशोधन 235.06 में लिये गये निर्णय के अनुरूप किया जाकर मण्डल में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को अवशिष्ट 8660 आवास/फ्लैटो को प्रस्तावानुसार आवंटन करने का अनुमोदन किया गया।	CEM
235.15	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखे (अन्तिम लेखे) निदेशक मण्डल से अनुमोदनार्थ एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
235.16	कोटा वृत्त के अधीन अकलेरा, नैनवा, चौमहला, छबडा एवं छीपाबडौद योजनाओं में छूट के साथ खुली बिक्री योजना स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव में आवासों की लागत में संशोधन 235.06 में लिये गये निर्णय के अनुरूप किया जाकर कोटा वृत्त के अधीन अकलेरा, नैनवा, चौमहला, छबडा एवं छीपाबडौद योजनाओं में खुली बिक्री योजना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
235.17	अरावली विहार योजना, भिवाडी में मध्यम आय वर्ग "ब" (एस+3) के खुली बिक्री योग्य उपलब्ध कुल 27 फ्लेट्स में 20 प्रतिशत की छूट देते हुये लागत निर्धारण के संबंध में।	प्रस्ताव में आवासों की लागत का निर्धारण 235.06 में लिये गये निर्णय के अनुरूप किया जावे।	CEM
235.18	अवयस्क अवस्था में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण में वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने बाबत्। (स्व. श्री भूराराम)	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Secretary

235.19	अवयस्क अवस्था में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण में वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने बाबत्। (स्व. श्री देवी शंकर शर्मा)	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Secretary
235.20	राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल में वर्तमान पदनाम को नवपदनाम करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल में वर्तमान पदनाम को नवपदनाम करने का अनुमोदन किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप मण्डल कार्मिकों की वेतनश्रृंखला में कोई बदलाव अनुज्ञेय नहीं होगा तथा मण्डल पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ना चाहिये।	Secretary
235.21	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–2010 में पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने बाबत्।	प्रस्ताव राज्य सरकार के प्रभावी नियमों/आदेशों के प्रकाश में स्वीकृति योग्य नहीं पाया गया।	Secretary
235.22	एकीकृत भवन विनियम–2017 राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किये जाने बाबत् विचारार्थ।	राज्य सरकार में प्रभावी एकीकृत भवन विनियम–2017 राजस्थान आवासन मण्डल में लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी नीति/आदेश प्रभावी किये जाते है वह नीति/आदेश मण्डल में अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर तत्काल प्रभाव से लागू किये जावे ।	ACTP
235.23	राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2017–2018 के संशोधित बजट अनुमान व वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान।	राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2017–2018 के संशोधित बजट अनुमान व वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान का अनुमोदन किया गया।	FA
235.24	रिवीजन ऑफ पे स्केल–2017	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
235.25	रिवीजन ऑफ पे स्केल–2017 टू वर्कचार्ज एम्प्लोईज्	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
235.26	रिवीजन ऑफ पेंशन/फैमिली पेंशन–2017	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
235.27	सामान्य भविष्य निधि की जमा राशियों पर ब्याज दर के विषय में	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया एवं निर्देशित किया गया कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी नीति/आदेश प्रभावी किये जाते है वह नीति/आदेश मण्डल में अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर तत्काल प्रभाव से लागू किये जावे ।	FA

235.28	स्व. श्री नारायण दास मंगलानी के पुत्र श्री विकास मंगलानी को मण्डल में अनुकम्पात्मक नियमों के अन्तर्गत हैल्पर के पद पर नियुक्ति देने के क्रम में।	प्रकरण कार्मिक विभाग, राज. सरकार को मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
235.29	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से मण्डल की भूमि पर आवासीय परियोजनाएं विकसित करने की योजना।	प्रस्तावानुसार राज्य सरकार की मंशानुरूप प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	CE-HQ
235.30	मण्डल में नगरनियोजक सहायक/ वास्तुविद सहायक से सहायक नगर नियोजक/सहायक वास्तुविद के पद पर पदोन्नति के संबंध में कार्य अनुभव 10 वर्ष के स्थान पर 02 वर्ष राज्य सरकार की भांति करने बाबत।	प्रकरणान्तर्गत नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार से वर्तमान में प्रभावी प्रावधान अनुरूप पदोन्नति हेतु प्रावधान मण्डल में प्रभावी करने का निर्णय लिया गया। उक्तानुसार अनुभव हेतु प्रचलित नियम मंगाकर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
235.31	श्रीमती मिथिलेश कुमारी शर्मा को पंजीकरण के पेटे जमा कराई गई राशि पर ब्याज के भुगतान के संबंध में।	चर्चा उपरान्त प्रकरण में पंजीकरण निरस्ती उपरान्त जमा राशि पर ब्याज का भुगतान मण्डल द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर से ही किये जाने का निर्णय लिया गया ।	FA

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अनिल कुमार कौशिक)
सचिव